10 वर्ष की स्कूल शिक्षा के संबंध में शैक्षिक ढांचे में विभिन्नताएं हैं।

(ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में भी 10+2 ढांचे की अच्छाइयों की पुनः पुष्टि की गई है, जिसके लाभ राज्यों में पहले ही विद्यमान ढांचों में इस प्रकार हैं :—

(i) सरकार के मानकीय निर्देशों के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता बढ़ाने अन्तर क्षेत्रीय गतिशीलता को प्रोत्साहन देने और स्कूल शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए देश भर में स्कूल शिक्षा की मोटे तौर पर एक समान पद्धति।

(ii) विज्ञान और भाषाओं पर महत्व के साथ दस वर्ष की सामान्य समरूप शिक्षा ताकि छात्र विकासशील विज्ञान उन्मुख जगत का सामना कर सके।

(iii) +2 स्तर पर अनेक समरूप शाखाओं जैसे मानविकी विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरूआत +2 स्तर पर उपयुक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करना ताकि बड़ी संख्या में छात्रों को कार्यजगत में प्रवेश करने का अवसर प्रदान किया जा सके और इससे उच्चतर/व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के दबाव को कम किया जा सके। यह 10+2 प्रणाली का प्रमाणांक है।

(iv) स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्धारित शिक्षण के स्तरों, अनुदेशात्मक सामग्री और स्कूल पाठ्यचर्या में व्यापक समानता लाना जिससे संपूर्ण देश में सामान्य स्तर को बढ़ाया जा सके।

(ग) प्राथमिक स्कूलों के स्तरों में व्यापक एकरूपता लाने के लिए प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए शिक्षा के न्यूनतम स्तर रखे गये हैं। प्राथमिक स्कूलों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं में विषमताओं को दूर करने के लिए आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना में प्राथमिक स्कूलों में कम से कम दो कमरे, जो सभी मौसमों में काम आ सकें, दो शिक्षक और आवश्यक शिक्षण/अध्यापन सामग्री प्रदान करने की व्यवस्था है। सरकार की नीति है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए।

इंटरमीडिएट कक्षाओं के पश्चात् कला विषयों और कानून की शिक्षा को रोक देना संभव नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की रोक लगाने से विद्यार्थी इन विषयों को चुनने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे, जिसका परिणाम यह होगा कि इन विषयों के पाठ्यक्रम को शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं/विभाग बंद हो जाएंगे और इन पाठ्यक्रमों के अध्ययन से लाभ उठाने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को आजीविका के अवसरों में रुकावट पैदा हो जाएगी।

भारतीय सांख्यिकीय सेवाओं के संवर्ग का पुनर्विलोकन

36. **श्री अनन्तराम जायसवाल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संगठित सेवाओं में श्रेणी "क" के अधिकारियों के संवर्ग का पुनर्विलोकन प्रत्येक पांच वर्ष के बाद करना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय सांख्यिकीय सेवाओं में कभी कोई संवर्ग-पुनर्विलोकन किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या भारतीय सांख्यिकीय सेवाओं के संवर्ग का पुनर्विलोकन अब सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो पुनर्विलोकन का काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भाणेय गोवर्धन) : (क) समूह

"क" केन्द्रीय सेवाओं का संवर्ग पुनर्विलोकन प्रत्येक तीन वर्ष के बाद करने का प्रावधान है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) तथा (घ) इस संबंध में मुख्य कठिनाईयां हैं :—

(1) अन्य समूह "क" केन्द्रीय सेवाओं से भिन्न भारतीय सांख्यिकीय सेवा में संवर्ग पद किसी एक अकेले विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं हैं।

(2) वर्ष 1986 में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में सेवा के ग्रेड चार में संस्वीकृत कर्मचारी संख्या के अतिरिक्त व्यक्तियों की बड़ी संख्या में भर्ती तथा

(3) लम्बित न्यायालय मामले तथा रोक आदेश जिनका संवर्ग संरचना पर प्रभाव है ।

समस्याएं ऐसी हैं कि संवर्ग पुनर्विलोकन तत्काल आरम्भ करना कठिन है । तथापि, सरकार भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड चार से ग्रेड तीन पदों के ग्रेड बढ़ाने संबंधी केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के रोक संबंधी आदेश के खाली हो जाने पर इसके पश्चात् 9 महीनों के अन्दर पुनर्विलोकन करने का यत्न करेगी । इस बीच, सरकार ने नए पदों को संवर्ग में शामिल करने तथा पदों की कोटि बढ़ाने जैसे हाल के उपायों द्वारा सेवा की प्रत्याशाओं में सुधार के लिए कार्रवाई की है ।

पब्लिक स्कूलों पर सरकारी नियंत्रण

37. **श्री अनन्तराम जायसवाल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली के पब्लिक स्कूलों के संचालन पर कोई नियंत्रण है; यदि हां, तो कितना ; और

(ख) क्या दिल्ली के पब्लिक स्कूलों के प्रबंधक मासिक फ़ीस में वृद्धि करने के लिए प्रत्येक एक या दो वर्ष के उपरान्त सरकार से अनुमति लेते हैं ; यदि हां, तो सरकार किस आधार पर उन्हें ऐसा करने की अनुमति देती है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) विवरण संलग्न है (नीचे दिया गया है)

(ख) दिल्ली में पब्लिक स्कूलों के प्रबंधक मासिक फ़ीस बढ़ाने के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करते हैं, यदि इसे शैक्षिक सत्र के दौरान बढ़ाना जरूरी हो। तथापि, प्रबन्धक शैक्षिक सत्र के आरम्भ में इस प्रकार की फ़ीस बढ़ाने के लिए स्वयं सक्षम हैं । साधारणतया इस प्रकार की फ़ीस का कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की अदायगी के लिए वित्तीय अपेक्षाओं के आधार पर बढ़ाया जाना अथवा प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत अन्य ग्राह्य खर्चे के लिए अनुमत्य होगा ।

विवरण

संघ शासित प्रदेश दिल्ली में स्कूली शिक्षा, अधिनियम, 1973 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों द्वारा नियंत्रित की जाती है । गैर-सहायता प्राप्त पब्लिक स्कूलों के संबंध में दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन के अधिकार निम्नलिखित हैं :—

(क) खण्ड 3(2) के अन्तर्गत, प्रशासक किसी व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकरण को किसी भी स्कूल की स्थापना या रखरखाव के लिए अनुमति प्रदान कर सकता है बशर्ते कि अधिनियम तथा नियमों का पालन किया जाये।

(ख) खण्ड 4 के अन्तर्गत उचित प्राधिकरण किसी प्राइवेट स्कूल को मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र पर विचार कर सकता है । मान्यता प्रदान